भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1061**
दिनांक **08 फरवरी, 2022** को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र में पनधारा परियोजनाएं

1061. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पनधारा परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी की गई पनधारा परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य में कितनी पनधारा परियोजनाओं को स्वीकृत और पूर्ण किया गया है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में पेयजल की कमी को दूर करने की दिशा में उक्त परियोजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) : भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वाटरशेड परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नानुसार हैं:

i. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए *रिज टू वैली दृष्टिकोण* का अनुसरण करता है।

ii. यह संपत्तिविहीन लोगों के लिए सतत् आजीविका विकल्पों के अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादन प्रणाली और सूक्ष्म उद्यमों पर भी बल देता है।

iii. वाटरशेड परियोजनाओं के लिए लागत मानक, मैदानी क्षेत्रों के लिए 22,000 रुपए/हे., पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 28,000 रुपए/हे. और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/एकीकृत कार्य योजना वाले जिलों के लिए 28,000 रुपए/हे. तक, है।

iv. परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष की होती है।

v. राज्य, जिला, परियोजना और ग्राम स्तरों पर क्रमशः राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए), वाटरशेड प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (डब्ल्यूसीडीसी), परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) नामक समर्पित संस्थाओं का प्रावधान है।

vi. एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) दृष्टिकोण, विशेषतः कृषि-बागवानी, को अपनाना।

vii. वाटरशेड परियोजनाओं के अधीन स्प्रिंग-शेड विकास को एक कार्यकलाप के रूप में आरंभ किया गया है।

viii. परियोजनाओं के योजना स्तर से ही किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को आरंभ किया गया है।

ix. परियोजनाओं की योजना और निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली/सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग।

(ख) से (घ): भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) पूर्व में वाटरशेड आधार पर तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा था।

इन तीनों कार्यक्रमों को दिनांक 26.02.2009 से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल परिवर्तित कार्यक्रम में समेकित किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) नाम दिया गया।

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन, वर्ष 2014-15 तक देश में 8214 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से महाराष्ट्र में 1186 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। महाराष्ट्र में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अधीन स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, सरकार ने वर्ष 2015-16 के बाद से महाराष्ट्र सहित देश में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अधीन कोई नई वाटरशेड परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2018 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने संसाधनों/ बजट से कार्यान्वयन के लिए 1832 परियोजनाओं को हस्तांतरित किया गया, जिनमें महाराष्ट्र में 162 परियोजनाएं शामिल थीं। इस प्रकार, भूमि संसाधन विभाग, राज्य में केवल 1024 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण कर रहा है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का लक्ष्य देश में वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि का विकास करना है। महाराष्ट्र में, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित की जा रही 1024 वाटरशेड परियोजनाओं में से, 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 810 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2021-22 (तीसरी तिमाही) तक, 0.16 लाख जल संचयन संरचनाओं का सृजन/पुनरुद्धार किया गया है, 1.39 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल को संरक्षणात्मक सिंचाई के अधीन लाया गया है और 1.97 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1061 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत तथा पूरी की गई परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	राज्यों को हस्तांतरित परियोजनाओं की संख्या	भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	पूरी की गई
1	अहमदनगर	38	6	32	14
2	अकोला	19	5	14	12
3	अमरावती	36	7	29	24
4	औरंगाबाद	33	9	24	20
5	बीड	68	5	63	54
6	भंडारा	17	6	11	9
7	बुलढाणा	42	2	40	35
8	चंद्रपुर	29	5	24	10
9	धुले	27	1	26	22
10	गढ़चिरौली	5	1	4	4
11	गौंदिया	20	7	13	8
12	हिंगोली	33	3	30	29
13	जलगाँव	39	0	39	31
14	जालना	39	5	34	28
15	कोल्हापुर	48	7	41	33
16	लातूर	41	8	33	26
17	नागपुर	29	4	25	21
18	नांदेड़	57	7	50	49
19	नंदुरबार	24	5	19	18
20	नासिक	41	1	40	22
21	उस्मानाबाद	47	2	45	38
22	परभणी	30	4	26	21
23	पुणे	39	9	30	27
24	रायगढ़	45	4	41	21
25	रत्नागिरी	51	3	48	46
26	सांगली	36	4	32	27
27	सतारा	78	9	69	62
28	सिंधुदुर्ग	26	5	21	18
29	सोलापुर	50	4	46	39
30	ठाणे	20	4	16	14
31	वर्धा	30	5	25	11
32	वासिम	12	2	10	6
33	यवतमाल	37	13	24	11
	कुल	**1186**	**162**	**1024**	**810**

*****